रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 483] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 1968/पौष 5, 1890
No. 483] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 1968/PAUSA 5, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Stock Exchange Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1968

S.O. 4641.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby directs that the following further amendment shall be made, with effect from the 16th December, 1968, in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Stock Exchange Division) No. S.O. 3302 dated the 14th September, 1967, and published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th September, 1967, namely :—

In the said notification, in condition (5), for the words "fifteen months", the words "seventeen months" shall be substituted.

[No. F. 1/18/SE/67.]

S. S. SHIRALKAR, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

अर्थ विभाग

(शेयर बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1968

सां० आ० 4642—प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम 1956 (1956 का 42वां) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा निदेश देती है कि

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग, शेयर बाजार प्रभाग) के अन्तर्गत अधिसूचना में 14 सितम्बर, 1967 के भारत सरकार के सां० आ० संख्या 3302 में, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 15 सितम्बर, 1967 के अंक में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित और संशोधन किया जायेगा अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में दी गयी पांचवी शर्त में "पन्द्रह महीने" शब्दों के स्थान पर "सत्रह महीने" शब्द पढ़े जायें ।

[सं० एफ० 1 18/एम० ई० 67]

श्री० श्री० शिरालकर,
अतिरिक्त सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968